चुनाव से जुड़े शरअी मसाइल

1- लोकतान्त्रिक व्यवस्था में वोट का बड़ा भारी महत्व है। इस महत्व को देखते हुए मुसलमानों के लिए अनिवार्य है कि वे इस हक़ का भरपूर इस्तेमाल करें।

2- चुनाव में योग्य और अच्छे लोगों का अपने आपको उम्मीदवार की हैसियत से पेश करना जायज़ व बेहतर है।

3- क़ानूनसाज़ इदारों (लोक सभा व विधान सभाओं में) मुस्लिम समुदाय के हितों के तहत मुसलमानों का प्रतिनिधित्व आवश्यक है, अलबत्ता यदि कोई क़ानून ऐसा बनाया जाए जो शरअी आदेशों या मानव की ज़रूरतों के विरुद्ध हो तो उसको रोकने की यथा संभव कोशिश करना मुसलमान सदस्यों का दीनी व मिल्ली कर्तव्य है।

4- मुस्लिम सदस्यों का यह भी धामिर्क व सामुदायिक कर्तव्य है कि शरअी आदेशों या मानव ज़रूरत के विरुद्ध जो क़ानून पहले से बने हों उन में परिवर्तन कराने की यथा संभव कोशिश करें।

5- निर्वाचित सदस्यों के लिए संविधान से वफ़ादारी का हलफ़ उठाने में कोई हरज नहीं है।

6- हिन्दुस्तान जैसे लोकतान्त्रिक देश में मुसलमानों के लिए चुनाव में हिस्सा लेना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ज़रूरत है। अतः ऐसी राजनीतिक पार्टियों में शिर्कत सही है जिनका मीनूफैसटू साम्प्रदायिक्ता पर आधारित न हो।

7- मुस्लिम महिलाओं के लिए शरअी आदेशों की रिआयत के साथ वोट देना सही है।

☆☆☆

नोटः 22वां फ़िक्ही सेमिनार (अमरोहा, यू0पी) दिनांक 25-27 रबीउस्सानी 1434 हि0 9-11 मार्च 2013 ई0